न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 56 /अ-59/2017-18/ 5555 बैतूल दिनांक 4 / 5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत नाहिया जनपद पंचायत बैतूल तहसील बैतूल द्वारा, उचित मूल्य दुकान एवं खाद उपकेन्द्र निर्माण करने के लिए मौजा नाहिया तहसील बैतूल स्थित रास्ता पुराने पंचायत भवन के पास भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत नाहिया के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः-

(1)- मौजा नाहिया तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 415/1 रकबा 2.809 हेक्टेयर मद रास्ता मे से 10 X60 =6000 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 04-01-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 01 पारित किया जाकर मौजा नाहिया मे पुराने पंचायत भवन के पास उचित मूल्य दुकान एवं खाद उपकेन्द्र निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा नाहिया तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 415/1 रकबा 2.809 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, मौके पर 335 मीटर लम्बी एवं 11-12 मीटर चौड़ी भूमि उपलब्ध है । रास्ता के रूप में उपयोग होने वाली भूमि छोड़ने के बाद प्रश्नाधीन भूमि के दायी ओर 13 मीटर एवं बायी ओर 07 मीटर भूमि मौके पर रिक्त बचती है। रास्ता मद की भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने के उपरांत भविष्य में मार्ग विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि की कमी नहीं होगी। रास्ता मद की भूमि पर भवन या अन्य संरचना निर्मित होने के फलस्वरूप किसी आपतकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स व अन्य बड़े वाहन ट्रक आदि के आवागमन में परेशानी नही होगी। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, मौजा नाहिया स्थित खसरा नंबर 415/1 रकबा 2.809 हेक्टेयर मद रास्ता में से 10 X60 =6000 वर्गफुट भूमि पर उचित मूल्य दुकान एवं खाद उपकेन्द्र हेतु मद परिवर्तन करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर

बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा नाहिया तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 415/1 रकबा 2.809 हेक्टेयर मद रास्ता में से 60 X100 =6000 वर्गफुट भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को आबादी घोषित किया जाता है।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 56 /अ-59/2017-18/ 5555 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत नाहिया जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.